मूल पत्रावली तलब ADM साहब नोहर

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न/149 अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर

सरकार

बनाम

नौरंगलाल

मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 नं0 मु0न0 13 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.07.2025	हल्का पटवारी किंकराली ने नौरंगलाल पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन किंकराली के विरूद्ध सम्वत् 2082 में नाजायज काश्त संबंधी रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि रौही मौजा किंकराली के खसरा नं. 163 किस्म गोचर रक्बा 38.280 हैक्टेयर मे से 2.00 हैक्टेयर पर ग्वार फसल अप्रार्थी द्वारा नाजायज काश्त कर अतिक्रमण करने की रिर्पोट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.08.2025 को पेश हो।	नोटिस क्रमांकः– 922 दिनांकः– 29.07.25
7/8/25	पत्रावली आज दिनांक तारीख पेशी में ली गई। रौही मौजा किंकराली के खसरा नं. 163 किस्म गैर मु. गोचर रक्वा हैक्टेयर मे से 2.00 हैक्टैर भूमि पर नाजायज काश्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया नोटिस तामिल करवा शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने जवाव पेश नही किया गया अप्रार्थी को बार–बार आवाजे लगाने पर भी उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी का जवाव वंद किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा गोचर भूमि पर नाजायज रूप से फसल काश्त की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिकमण करने के कारण अतिक्रमी घोपित किया जाता है। तावान राशि रू. 500/– से दण्डित किया जाता है। राजस्व लेखाकार भाग कायम करें। भू. अभिलेख निरीक्षक नोहर को आदेश जारी हो कि उक्त भूमि पर फसल हो तो खुर्द–बुर्द की जाकर अतिक्रमी को दिनांक 19.08.2025 से पूर्व भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर बेदखली रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 19.08.2025 को पेश हो।	970 7/8/25

[illegible] 500/- [illegible]